फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती कमलादेवी बनाम लादू (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा॰ पत्र 111-128 नं0 194 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-11-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 15-12-20 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
15/12/20	[illegible] प्रभारित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / पत्रावली दिनांक 25-12-20 को पेश हो रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
25-12-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा॰ प॰ किये गये। पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा॰ प॰ की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाज दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] पत्रावली किया निर्णय पृथक से लिखा जाकर नम्बर से कम हो गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 194/20 प्रा.पत्र

1– रुकमणी D/o बालु भील निवासी- बागौर तहसील-माण्डल [बागौर]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री लादु S/o मोहन लुहार निवासी- बागौर तहसील माण्डल [बागौर]
(प्रस्तांकित प्रा.पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 24.12.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....बागौर.....पटवार हल्का.....बागौर I.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2282, 2282/7054 कुल किता.....02.....रकबा.....03.....बीघा.....15.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक .....10.11.20.....को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागौर.....पटवार हल्का.....बागौर I.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2282, 2282/7054.....कुल किता.....02.....रकबा.....03.....बीघा.....15.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.....बागौर.....300/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जा... ...पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner